

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय—आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संरथा/सी-4/रजीगृ /रसायन विज्ञान/स्थानान्तरण/2019-20 दिनांक-29.09.2019 के तहत मनोज कुमार सिंह, व्याख्याता, रसायन विज्ञान का स्थानांतरण राउमावि, तारानगर, चुरू से मालू राउमावि, रामसर, बाड़मेर किया गया। मनोज कुमार सिंह ने अपने स्थानांतरण के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या 15037/2019 मनोज कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.10.2019 में याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपने पीड़ा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करते हुए और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधिनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (**REASONED SPEAKING ORDER**) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी मनोज कुमार सिंह द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के खराब स्वारथ्य एवं स्थानान्तरण 650 किलोमीटर दूर हो जाने के आधार पर राउमावि भर्सीना, सुजानगढ़, चुरू/रा. लक्ष्मीनारायण तापड़िया उमावि, सांडवा, बीदासर, चुरू की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। याचिकार्थी का प्रकरण इनमें से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मददेनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज़ किया जाकर निस्तारित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.10.2019 में याचिकार्थी द्वारा

प्रस्तुत अभ्यावेदन का एक सकारण आख्यात्मक आदेश द्वारा निरतारण किए जाने के आदेश प्राप्त थे। चूंकि श्री मनोज कुमार सिंह का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जा चुका है अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने स्थानान्तरित स्थान मालू राउमावि, रामसर, बाड़मेर में व्याख्याता के पद पर दिनांक 08.11.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरुद्ध राजस्थान अर्सैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नित्यमल डिले)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-1/अभ्यावेदन/मनोज कुमार सिंह/को.के/19-20 दिनांक:-04/11/2019

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

 1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
 2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
 3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
 4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री मनोज कुमार सिंह के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिती में उनके विरुद्ध भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
 5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
 6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
 7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
 8. संबंधित प्राधानाचार्य राउमावि, तारानगर, चुरू/मालू राउमावि, रामसर, बाड़मेर।
 9. कार्मिक मनोज कुमार सिंह, व्या० रसायन विज्ञान मालू राउमावि, रामसर, बाड़मेर।
 10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर